बिहार–सरकार)
समाहरणालय, सीवान
(जिला कल्याण कार्यालय, सीवान)
दूरभाष संख्या– 06154–242166
ई–मेल– dwo-siw-bih@nic.in

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1631, दिनांक–27.08.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष–2020–21 के लिए सीवान जिलान्तर्गत डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, कान्धवारा, सीवान में निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भेजनादि की व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य निबंधित संस्थानों/स्वंयसेवी संस्था/केटरर चयन हेतु मुहरबंद निविदा ख्याति प्राप्त निबंधित एजेन्सी से जिला कल्याण कार्यालय, सीवान में दिनांक– 24-12-20 को 3:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराहन में जिला क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी प्रकोष्ठ में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत् है –

1. इच्छुक निविदादाता को मेस संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, पटना द्वारा निर्धारित दर एवं मीनू पर भोजन/जलपान उपलब्ध कराना होगा। समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित मीनू में परिवर्त्तन किया जा सकता है, जिसे लागू करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मीनू से विचलन नहीं किया जायेगा, अन्यथा आपके द्वारा समर्पित ई0एम0डी0 जप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
2. विभाग द्वारा भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्रा प्रति माह वर्ग–01 से 12 तक के लिए मो0–2300/– (दो हजार तीन सौ) रूपये मात्र रूपये निर्धारित है। भविष्य में विभाग द्वारा दर में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किया जाता है, तो परिवर्तित दर मान्य होगा।
3. निविदा उप विकास आयुक्त, सीवान के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

1. आवासीय विद्यालय में मेस संचालन हेतु तकनीकी शर्तें –

1. निविदादाताओं को मेस संचालन हेतु अग्रधन के रूप में 50000/– (पचास हजार) रूपयें का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, सीवान में देय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता का मेस संचालन हेतु अद्यतन फूड एवं कैटरींग से संबंधित फूड लाईसेंस सलग्न करना होगा।
3. मेस संचालन हेतु श्रम विभाग से लेबर लाईसेंस संलग्न करना होगा।
4. वित्तीय निविदा में मेस संचालन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर पर, निर्धारित मीनू या उससे अच्छे गुणवत्ता वाले मीनू के अनुसार आवासीय विद्यालयों के छात्राओं को भोजन, नास्ता एवं विशेष अवसर पर विशेष भोजन की आपूर्ति करनी होगी।
5. समय–समय पर वरीय पदाधिकारी के निदेश के आलोक में आपूर्ति की गयी भोजन की जॉच खादय निरीक्षक (Food Inspector) द्वारा की जायेगी।
6. संबंधित निवादादाता को जी0एस0टी0 मे निबंधित होने एवं लगभग 1 साल का अद्यतन त्रैमासिक रिर्टन भरने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदादाता को विगत्त दो वर्षों का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष–2018–19 एवं 2019–20) संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता का वार्षिक टर्न–ओबर 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए।
9. निविदादाता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
11. निविदादाता को मेस संचालन में प्रयुक्त खाद्यान्न सामग्री के नमूनों को निविदा के दिन लाना आवश्यक होगा।
12. मेस संचालन का दायित्व निविदा के आधार पर लोएस्ट कोटेशन एवं अच्छी गुणवता वाले निविदादाता को दिया जाएगा।
13. सभी शर्तें समान रहने पर पूर्व में सरकारी संस्थानों/विधालयों में मेस संचालन का अधिकतम अनुभव देखते हुए निविदादाता का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

14. विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण जिला स्तरीय समिति करेगी तथा समिति के सत्यापन एवं भोजन की विडियोंग्राफी के सत्यापन के उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान देय होगा।
15. मेस संचालित करने वाली एजेंसी के कार्य नहीं करने/विशेष परिस्थिति में मेस संचालन की जिम्मेवारी छात्रावास प्रबंधक/प्रधानाध्यापक की होगी।
16. अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
17. निविदा में सफल उम्मीदवार को मेस संचालन हेतु सरकारी प्रावधान के अनुसार एकरनामा करना होगा। साथ ही उन्हें मेस के सफल संचालन हेतु रसोईया एवं अन्य कर्मी की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
18. भोजनादि तैयार करने हेतु ईंधन (गैस) की व्यवस्था चयनित निविदादाता को करनी होगी।
19. किसी भी प्रकार का Sub Contract मान्य नहीं होगा।
20. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार उप विकास आयुक्त, सीवान की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
21. निविदा में सफल उम्मीदवार के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए मेस संचालन का एकरनामा किया जायेगा। यह एकरनामा अगले सत्र के लिए तभी नवीकृत किया जा सकेगा, जब निविदादाता के द्वारा मेस संचालन अवधि में कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुआ हो।
22. निविदादाता द्वारा संचालित मेस संचालन के संबंध में उच्चाधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर निविदादाता के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।
23. कोई भी दावा या आपत्ति सीवान जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

वित्तीय शर्तें–

उपरोक्त तकनीकी शर्तों को पूरा करने के उपरांत वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वित्तीय लिफाफे में कर सहित एवं परिवहन शुल्क सहित दर अंकित किया जायेगा। अलग से कोई राशि देय नहीं होगा।

मेस सचालन में गड़बड़ी होने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल कर पंजीयन रदद करने की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त निविदा **Two Bid System** पर आधारित होगा। इच्छुक एन.जी.ओ./फर्म/आपूर्तिकर्त्ता तकनीकी शर्तें एवं वित्तीय शर्तों दोनों लिफाफा अलग–अलग सील बंद (लाह से) लिफाफे में देना होगा। पुनः दोनों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर डालकर निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिसूचित पते पर निबंधित डाक/हाथों–हाथ डालें। लिफाफा पर पूर्ण पता अंकित करेंगे।

साथ ही प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्त्तन करने एवं निविदा रदद करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, सीवान से सम्पर्क किया जा सकता है एवं सीवान जिला के वेब–साईट–**www.siwan.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

10/12/20

उप विकास आयुक्त,
सीवान।

state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता
विद्युत कार्य प्रमंडल सं0–3, पटना

PR. No. 009498 (BCD) 2020-21

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No. 104 पर संपर्क कर सकते हैं।
खाद्य सामग्री– संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0612–2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

बिहार सरकार

समाहरणालय, सीवान
(जिला कल्याण कार्यालय, सीवान)
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

दूरभाष संख्या– 06154–242166
ई–मेल– dwo-siw-bih@nic.in

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1631, दिनांक 27.08.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सीवान जिलान्तर्गत डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, कान्धवारा, सीवान में निर्धारित मेनू के अनुसार छात्राओं के भोजनादि की व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में सुयोग्य निबंधित संस्थानों/स्वंयसेवी संस्था/केटरर चयन हेतु मुहरबंद निविदा ख्याति प्राप्त निबंधित एजेन्सी से जिला कल्याण कार्यालय, सीवान में दिनांक–24.12.2020 को 03:00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी प्रकोष्ठ में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत् है –

1. इच्छुक निविदादाता को मेस संचालन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, पटना द्वारा निर्धारित दर एवं मीनू पर भोजन/जलपान उपलब्ध कराना होगा। समय–समय पर विभाग द्वारा निर्धारित मीनू में परिवर्त्तन किया जा सकता है, जिसे लागू करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मीनू से विचलन नहीं किया जायेगा, अन्यथा आपके द्वारा समर्पित ई0एम0डी0 जप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
2. विभाग द्वारा भोजन (जलपान सहित) प्रति छात्रा प्रति माह वर्ग–01 से 12 तक के लिए मो0–2300/– (दो हजार तीन सौ) रूपये मात्र रूपये निर्धारित है। भविष्य में विभाग द्वारा दर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो परिवर्तित दर मान्य होगा।
3. निविदा उप विकास आयुक्त, सीवान के अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

साथ ही प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्त्तन करने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, सीवान से सम्पर्क किया जा सकता है एवं सीवान जिला के वेब–साईट–**www.siwan.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

उप विकास आयुक्त,
सीवान।

PR. No. 009573 (Welfare) 2020-21

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No. 104 पर संपर्क कर सकते हैं।
खाद्य सामग्री– संबंधी किसी तरह की जानकारी अथवा सुझाव हेतु दूरभाष संख्या 0612–2217636 पर सम्पर्क किया जा सकता है।